रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2747] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2016/अग्रहायण 2, 1938
No. 2747] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2016/AGRAHAYANA 2, 1938

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2016

का.आ. 3516(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1447(अ) तारीख 26 मई, 2015, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रुप से विचार किया गया;

बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा राज्य में 767 हेक्टेयर में अवस्थित है और शिवालिक पहाड़ी व्यवस्था के भीतर आता है और यहां समुद्र तल से लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है तथा यह घाघरा नदी के आवाह क्षेत्र का एक भाग है और कुछ ग्रामों तथा वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है तथा मौसमी नदी कोशल्या, सन्निकट हिमालय क्षेत्र से उद्गम होकर अभयारण्य से गुजरती है तथा इस अभयारण्य का संपूर्ण क्षेत्र मिट्टी और गाद के एकत्र होने से बना है जिसमें जलोढ़ जमाव के लक्षण पाये जाते है ;

और, बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में घने जंगल है और *ऐसिसिया केटीचू* (खेर) इस क्षेत्र की अधिष्ठायी प्रजाति है तथा अभयारण्य के बड़े हिस्से में प्राकृतिक वन है और *इक्यूलिपटस ग्लोबलरू* (सफेदा) और *टेक्टोना ग्रेडिंसा* (टीक) जैसी प्रजातियों का मानव निर्मित वृक्षारोपण भी किया गया है और प्राणि-समूह में, तेंदुआ सर्वश्रेष्ठ पदानुक्रम है और चित्तीदार हिरण, सांभर, बनैला सूअर, लघुपुच्छ वानर, लंगूर, लकड़बग्घा, जंगली बिल्ली, सामान्य नेवला, भारतीय लोमड़ी, सियार, साही, आदि भी हैं ;

और, उक्त पारिस्थितिक और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को, जो इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट विस्तार और सीमाओं के क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों के प्रचालन या प्रसंस्करण या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य में बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1200 मीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन हरियाणा राज्य के भीतर बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 0 से 2310 मीटर तक विस्तारित होगा। पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार लगभग 1131 हेक्टेयर के क्षेत्र में होगा ।

(2) बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा राज्य के पंचकुला जिला में उत्तर अक्षांश 300 44'06'' से 300 47'34.01'' और पूर्व देशांतर 760 56'34.05'' से 760 59'38.62'' के बीच अवस्थित है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र उसके अक्षांश और देशांतर का साथ उपाबंध I के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के निर्देशांक इसके अक्षांश और देशांतर के साथ उपाबंध II के रूप में उपाबद्ध है ।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के क्षेत्र और उनके भाग उपाबंध III के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महा योजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के अनुशक्ति में आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप भी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश का सिद्धांत, यदि कोई हों, द्वारा तैयार की जाएगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिका;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि; और

(viii) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 24, सं0 32, और सं0 37 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(ii) वर्षा जल संचय, और

(iii) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुविधाएं भी हैं :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.—**आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना को सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्र के लिए हानिकारक हैं ।

(3) **पर्यटन.—**(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो पर्यटन महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, हरियाणा सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिर्देशक के सिद्धांतों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और सैरगाहों के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे ;

(iii) आंचलिक महा योजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

IndiaCode

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) ठोस अपशिष्ट - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जी.एस.आर 343(अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन.—**परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का

		202 टी.एन. गोविंद रामन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	वाणिज्यिक हैलिकाप्टर सेवा।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
10.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप :	
11.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा । वाणिज्यिक पारिस्थितिक पर्यटन के साथ "वन्यजीव निवास में गैर वानिकी क्रियाकलापों के लिए दिशा-निर्देशों" के अनुसार जारी एफ. सं. 610/2011 वन्यजीव दिनांक 15-03.2011 द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय (वन्यजीव प्रभाग), नई दिल्ली और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों (यदि लागू हो) के साथ विनियमित किया जाएगा ।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी । प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप नियम या विनियम, यदि कोई लागू हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे । (ख) परन्तु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा एक किलोमीटर से ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण क्रियाकलाप तथा संनिर्माण और नागरिक सुविधाओं की वृद्धि आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे ।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी

		या राजस्व या निजी पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
15.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने मात्रा में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) किसी स्रोत जल, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
16.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना।
17.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नई सड़कों को चौड़ा करना और मौजूदा सड़कों की मरम्मत का संनिर्माण और न्यूनतम प्रभाव के साथ विनियमित किया जाएगा।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
20.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, कृषि उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा।
25.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
26.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	सुरक्षा बलों के कैंप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	नदी तलों से पत्थरों, बजरी, और बालू की निकासी ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	33 किलोवाट से ऊपर के संचरण और वितरण प्रणाली को बिछाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी : परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में 100 प्रतिशत आयातित काष्ठ स्टाक उपभोग करने वाले नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना की जा सकेगी।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप :		
31.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
32.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।

33.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
36.	वानस्पतिक बाड ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
37.	कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
38.	कृषि करने, जिसके अंतर्गत बागवानी, उद्यान कृषि और फलों उद्यान भी हैं ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
40.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
41.	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) उपायुक्त, पंचकुला -अध्यक्ष;

(ख) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का तीन वर्ष की अवधि के लिए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -सदस्य;

(ग) प्रादेशिक अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य;

(घ) जिला नगर नियोजक, पंचकुला -सदस्य;

(ङ) हरियाणा सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय का पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ -सदस्य;

(च) प्रभागीय वन्यजीव अधिकारी, पंचकुला -सदस्य;

(छ) राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य -सदस्य;

(ज) उप वन्य संरक्षक (क्षेत्रीय) पंचकुला -सदस्य सचिव ।

6. निर्देश निबंधन -

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन (3) वर्ष का होगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित संवीक्षा मानीटरी समिति द्वारा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

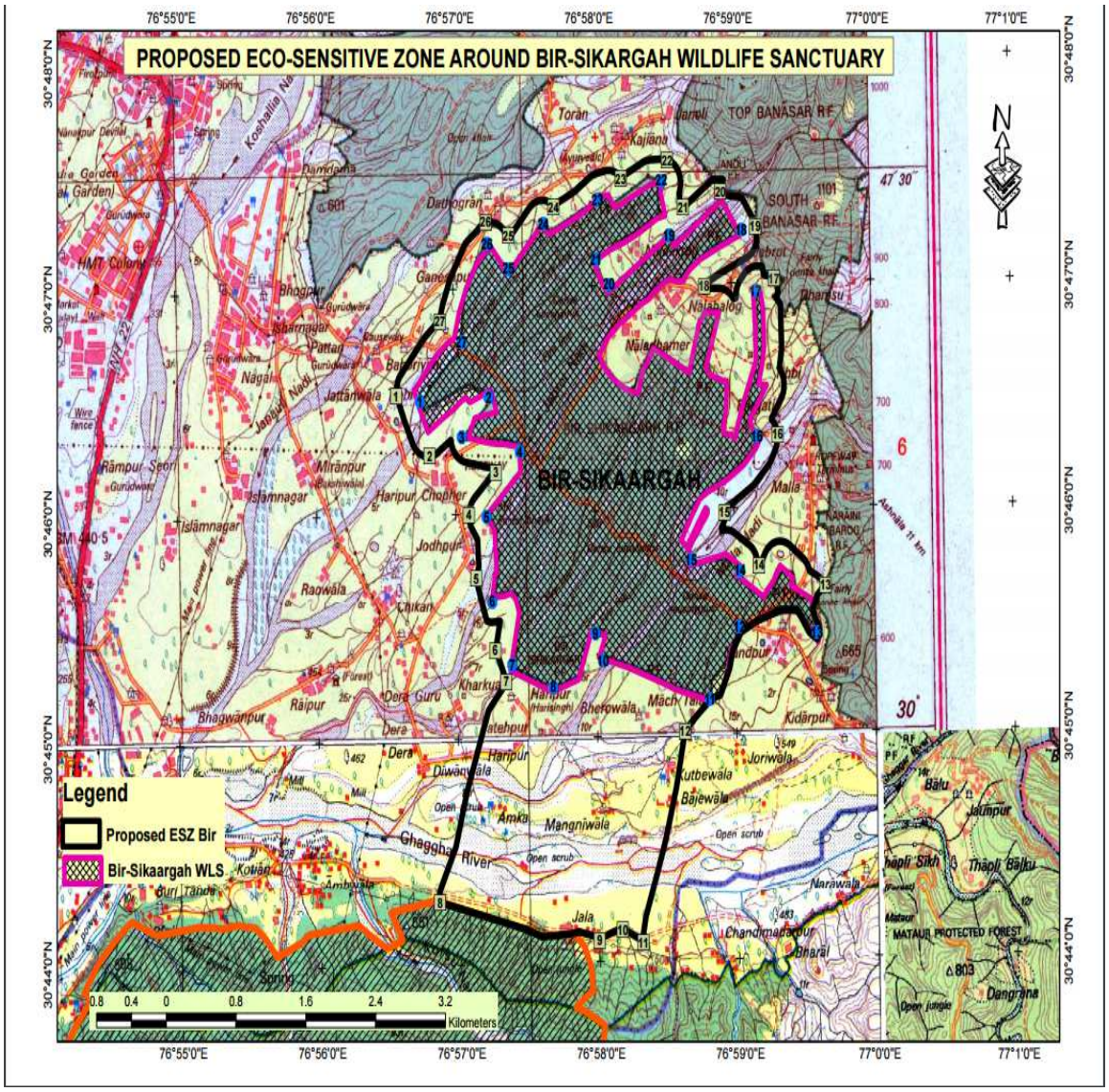
IndiaCode

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार ऐसे अतिरिक्त उपाय को, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध माननीय भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

उपाबंध I

बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र



उपाबंध-II

बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण

आई डी	देशांतर	अक्षांश	वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से दूरी
1	76 56' 34.641" पू	30 46' 31.902" उ	200
2	76 56' 48.824" पू	30 46' 15.785" उ	200
3	76 57' 17.149" पू	30 46' 10.936" उ	200
4	76 57' 5.382" पू	30 45' 59.861" उ	200
5	76 57' 8.194" पू	30 45' 42.924" उ	200
6	76 57' 16.034" पू	30 45' 23.629" उ	200
7	76 57' 20.584" पू	30 45' 15.172" उ	200
8	76 56' 50.863" पू	30 44' 16.725" उ	2090
9	76 57' 59.390" पू	30 44' 5.794" उ	2310
10	76 58' 9.480" पू	30 44' 8.387" उ	2190
11	76 58' 18.229" पू	30 44' 4.905" उ	2120
12	76 58' 37.400" पू	30 45' 0.858" उ	320
13	76 59' 38.674" पू	30 45' 39.019" उ	200
14	76 59' 10.121" पू	30 45' 44.615" उ	200
15	76 58' 55.566" पू	30 45' 58.983" उ	200
16	76 59' 18.885" पू	30 46' 19.374" उ	200
17	76 59' 18.057" पू	30 47' 0.977" उ	200
18	76 58' 47.957" पू	30 46' 59.308" उ	200
19	76 59' 10.293" पू	30 47' 14.952" उ	200
20	76 58' 55.480" पू	30 47' 24.416" उ	200
21	76 58' 39.274" पू	30 47' 20.574" उ	200
22	76 58' 32.660" पू	30 47' 33.052" उ	200
23	76 58' 12.555" पू	30 47' 28.459" उ	200
24	76 57' 43.440" पू	30 47' 21.423" उ	200
25	76 57' 23.876" पू	30 47' 13.983" उ	200
26	76 57' 14.096" पू	30 47' 17.741" उ	200
27	76 56' 53.855" पू	30 46' 51.487" उ	200

IndiaCode

उपाबंध – III

बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम के नाम	क्र.सं.	ग्राम के नाम	क्र.सं.	ग्राम के नाम
1	तिपरा	28	जोधपुर	55	दकरोग
2	तोरन	29	खारकुआ	56	खोई
3	गवही	30	हरिपुर हरिसिंग	59	धाटो घरान
4	बितना	31	नंदपुर	60	जबरोट
5	बघरनी	32	भोरियान	61	नाला दोमेहर
6	नौलता	33	तोरन	62	कजीयाना
7	जैथाल	34	बघरनी	63	गनेशपुर
8	भवाना	35	नौलता	64	नाला ब्लौग
9	दकरोग	36	जैथाल	65	नाला दकरोग
10	खोई	37	भवाना	66	हरिपुर छोपहर
11	जनौली	38	दकरोग	67	बेर घाटी
12	दमदामा	39	खोई	68	बहोरियान
13	धाटो घरन	40	जनौली		
14	जबरोट	41	धाटो घरन		
15	नाला दोमेहर	42	जबरोट		
16	कजीयाना	43	नाला दोमेहर		
17	भोगपुर	44	कजीयाना		
18	गनेशपुर	45	गनेशपुर		
19	धमसू	46	धमसू		
20	पाटन	47	नाला ब्लौग		
21	नाला ब्लौग	48	नाला दकरोग		
22	नाला दकरोग	49	हरिपुर छोपहर		
23	हरिपुर छोपहर	50	तिबी		
24	तिबी	51	बेर घाटी		
25	बेर घाटी	52	मल्ला		
26	चिकन	53	जोधपुर		
27	मल्ला	54	बहोरियान		

IndiaCode

उपाबंध – IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।

2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।

3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।

4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश ।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

[फा. सं. 25/30/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2016

S.O. 3516(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1447, dated the 26th May, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

WHEREAS, the Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary of 767 hectare situated in Haryana State and falls within Shivalik hill system and it is located at an altitude of about 400 meters above Sea Level and is a part of Ghaggar river catchments and surrounded by forest areas and a few villages and seasonal river named Kaushalya originating in the adjoining Himachal area passes through the sanctuary and the entire area of this sanctuary is made up of conglomerates, clay and silt having the characters of alluvial deposits;

AND WHEREAS, Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary has thick forest and *Acacia catechu (*Khair) is the dominant species of this area and the larger part of the sanctuary is a natural forest and manmade plantation of species like *Eucalyptus globulus* (Safeda) and *Tectona grandis* (Teak) have also been done and among fauna, leopard is on the top of hierarchy and other animals are Spotted Deer, Sambar, Wild Boar, Rhesus Monkey, Langoor, Hyaena, Jungle Cat, Common Mongoose, India Fox, Jackal, Porcupine, etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent of upto1200 metres from the boundary of the Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary in the State of Haryana as the Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.**-(1) The Eco-sensitive Zone varies from zero to 2310 meters around the boundary of Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary and the total area falling under the Eco-Sensitive Zone is 1131 hectares approximately.

(2) Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary is situated in the Panchkula District of Haryana State between 300 44′06″ to 300 47′34.01″ North latitude and between 760 56′34.05″ to 760 59′38.62″ East longitude.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitude and longitude is appended as **Annexure I**.

(4) The coordinates of Eco-sensitive Zone with its latitude and longitude is appended as **Annexure II**.

(5) The villages whose area or parts thereof falling within the Eco-sensitive Zone are appended as **Annexure-III.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture; and

(ix) Haryana State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the

IndiaCode

residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 24, 32 and 37 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Small scale industries not causing pollution;

(ii) Rainwater harvesting; and

(iii) Cottage industries including village artisans:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit the development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-**(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Haryana in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Haryana.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment and Forest and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357(E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 343(E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government and the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	**(2)**	**(3)**
	A. Prohibited Activities:	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new and expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Setting-up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

IndiaCode

9.	Commercial helicopter services.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Uses of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities:	
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that, beyond one kilometre or up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Eco-Tourism Master Plan. Commercial eco-tourism establishments is to be regulated strictly in accordance with "The guidelines for taking non-forestry activities in Wild life habitats" issued vide F. No. 610/2011 WL dated 15-03.2011 by the Ministry of Environment and Forest (WL Division), New Delhi and National Tiger Conservation Authority Guidelines (if applicable).
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre upto the extent of Eco-Sensitive Zone, construction for *bone fide* local needs shall be allowed and other construction activities and construction and augmentation of civic amenities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
14.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.

15.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a)The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
16.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
17.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Construction of new roads and widening /repair of existing roads in the Eco-sensitive Zone should be regulated and done with minimal impact.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
23.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
25.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
26.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
27.	Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.
28.	Collection of boulders, gravel and sand from the river beds.	Regulated under applicable laws.
29.	Laying of transmission and distribution system above 33KV.	Regulated under applicable laws.
30.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the units of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive Zone using 100% imported wood stock.
C. Promoted Activities:		
31.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy sources.	Permitted under applicable laws.
36.	Vegetative fencing.	Permitted under applicable laws.
37.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
38.	Agriculture operations including plantation, horticulture and orchards.	Permitted under applicable laws.
39.	Skill development.	Shall be actively promoted.
40.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-** (1) The Central Government hereby constitutes the Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(a) Deputy Commissioner, Panchkula - Chairman;

(b) A representatives of Non-governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Haryana for a term of three year – Member;

(c) Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board Member;

(d) District Town Planner, Panchkula - Member;

(e) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Haryana - Member;

(f) Divisional Wildlife Officer, Panchkula – Member;

(g) Member of State Biodiversity Board - Member

(h) Deputy Conservator of Forests (Territorial) Panchkula- Member Secretary.

6. Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The tenure of the Monitoring Committee and the subject expert would be three years.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State per proforma appended at **Annexure IV**.

IndiaCode

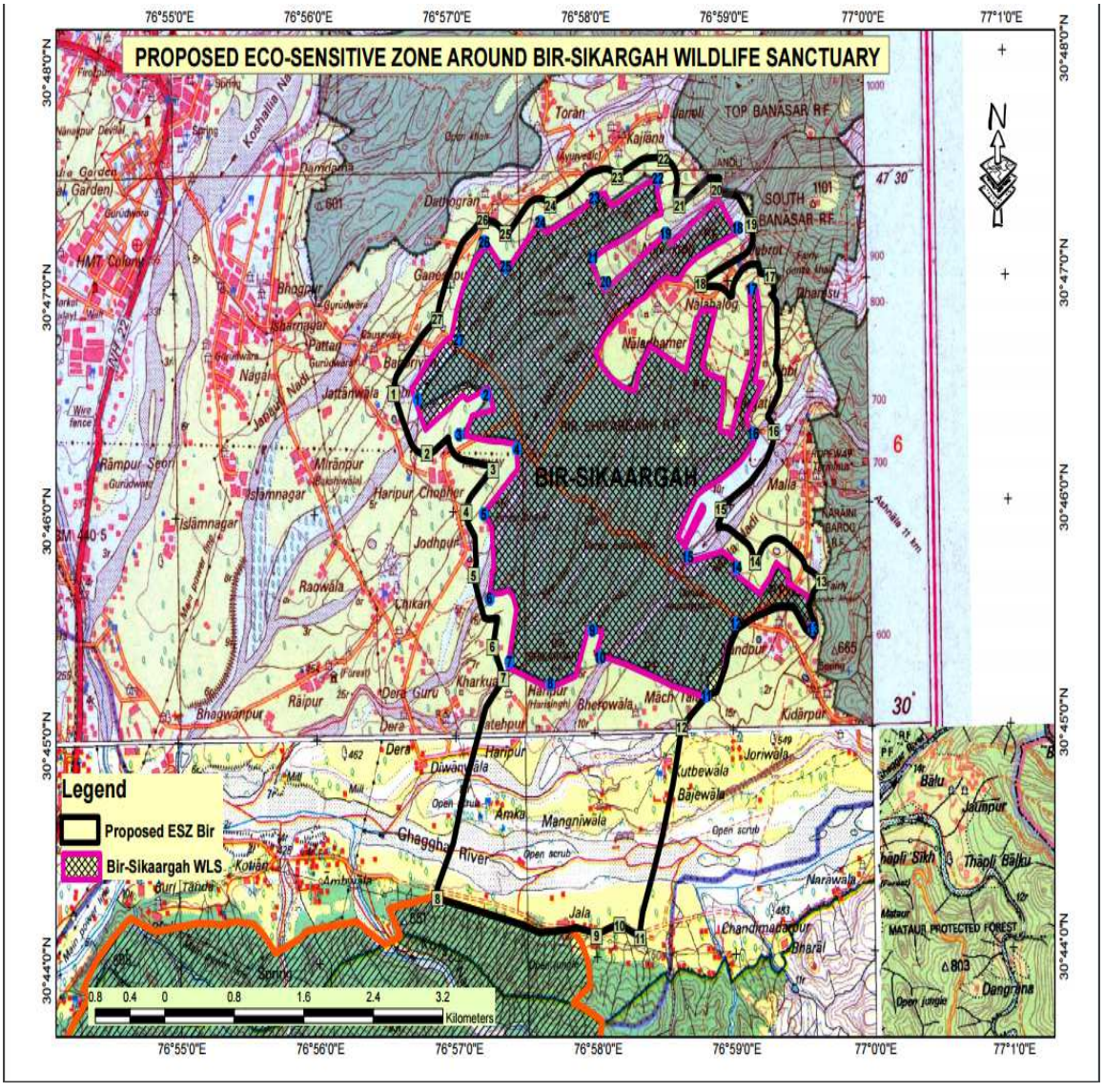
(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone of Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary, Haryana.



Annexure II

The boundary description of Eco-sensitive Zone of Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary, Haryana

ID	Longitude	Latitude	Distance from WLS Boundary
1	76 56' 34.641" E	30 46' 31.902" N	200
2	76 56' 48.824" E	30 46' 15.785" N	200
3	76 57' 17.149" E	30 46' 10.936" N	200
4	76 57' 5.382" E	30 45' 59.861" N	200
5	76 57' 8.194" E	30 45' 42.924" N	200
6	76 57' 16.034" E	30 45' 23.629" N	200
7	76 57' 20.584" E	30 45' 15.172" N	200
8	76 56' 50.863" E	30 44' 16.725" N	2090
9	76 57' 59.390" E	30 44' 5.794" N	2310
10	76 58' 9.480" E	30 44' 8.387" N	2190
11	76 58' 18.229" E	30 44' 4.905" N	2120
12	76 58' 37.400" E	30 45' 0.858" N	320
13	76 59' 38.674" E	30 45' 39.019" N	200
14	76 59' 10.121" E	30 45' 44.615" N	200
15	76 58' 55.566" E	30 45' 58.983" N	200
16	76 59' 18.885" E	30 46' 19.374" N	200
17	76 59' 18.057" E	30 47' 0.977" N	200
18	76 58' 47.957" E	30 46' 59.308" N	200
19	76 59' 10.293" E	30 47' 14.952" N	200
20	76 58' 55.480" E	30 47' 24.416" N	200
21	76 58' 39.274" E	30 47' 20.574" N	200
22	76 58' 32.660" E	30 47' 33.052" N	200
23	76 58' 12.555" E	30 47' 28.459" N	200
24	76 57' 43.440" E	30 47' 21.423" N	200
25	76 57' 23.876" E	30 47' 13.983" N	200
26	76 57' 14.096" E	30 47' 17.741" N	200
27	76 56' 53.855" E	30 46' 51.487" N	200

IndiaCode

Annexure III

List of villages falling under Eco-sensitive Zone of Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary, Haryana

S. No.	Name of Village	S. No.	Name of Village	S. No.	Name of Village
1	Tipra	28	Jodhpur	55	Dakrog
2	Toran	29	Kharkua	56	Khoi
3	Gawahi	30	Haripur Harisingh	59	Dhato Ghran
4	Bitna	31	Nandpur	60	Jabrot
5	Bagharni	32	Bahoriyan	61	Nala Domehar
6	Noulta	33	Toran	62	Kajiyana
7	Jaithal	34	Bagharni	63	Ganeshpur
8	Bhawana	35	Noulta	64	Nala Bloug
9	Dakrog	36	Jaithal	65	Nala Dakrog
10	Khoi	37	Bhawana	66	Haripur Chopahar
11	Janouli	38	Dakrog	67	Ber Ghati
12	Damdama	39	Khoi	68	Bahoriyan
13	Dhato Ghran	40	Janouli		
14	Jabrot	41	Dhato Ghran		
15	Nala Domehar	42	Jabrot		
16	Kajiyana	43	Nala Domehar		
17	Bhogpur	44	Kajiyana		
18	Ganeshpur	45	Ganeshpur		
19	Dhamsoo	46	Dhamsoo		
20	Patan	47	Nala Bloug		
21	Nala Bloug	48	Nala Dakrog		
22	Nala Dakrog	49	Haripur Chopahar		
23	Haripur Chopahar	50	Tibi		
24	Tibi	51	Ber Ghati		
25	Ber Ghati	52	Malla		
26	Chikan	53	Jodhpur		
27	Malla	54	Bahoriyan		

IndiaCode

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings:
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record:
 Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006:
 Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006:
 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

[F. No. 25/30/2014-ESZ/RE]

Dr. T. CHANDNI, Scientist 'G'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2016.11.23 18:23:56 +05'30'